

ESTIMATE GENERAL ABSTRACT

Name of work - Construction of Missing Link from Tara] to Tara Devi Temple.

Part	PART	Amount
A	ROAD WORK	4519373.00
B	C. C. PAVEMENT	1558278.00
C	PROTECTION WORK	781186.00
	TOTAL	6958837.00
	Add 13% Prorata Charges	904643.00
	TOTAL	7863486.00
	Say in Lacs	78.63

Junior Engineer
PWD Sub Division Khanpur

Assistant Engineer,
PWD Sub Division Khanpur

Executive Engineer,
PWD Division Khanpur

No SE/Tech/D 635 Dated 05.12.16

T. [Signature] Sanctioned

For Rs 78.63 lakh

(Seventy eight lakh Sixty three thousand only)

Sup. [Signature] Engineering
PWD Circle, [Signature]

अधिकारी अभियन्ता
सा.वि.वि.ख.प. खानपुर
डी.डी.ओ.कोड सं.28124

राजस्थान जयपुर के लिख पत्र क्रमांक :- एफ 7(01)/मिसिंग
लिंक/ 2016-17/डी-05 दिनांक 10-11-2016 की प्रतिलिपि

विषय-मिसिंग लिंक कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2016-17 ।

निर्देशानुसार राजस्थान के राज्यपाल महादेय की ओर से मिसिंग लिंक कार्यों हेतु कुल 798 कार्यों के लिए उनकी कुल लम्बाई 1789.80 किमी है, राशि रुपये 65935.10 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न सूची के अनुसार प्रदत्त की जाती है।

क्र. सं.	मद वर्गीकरण	कार्यों की संख्या	लम्बाई (किमी में)	राशि (लाखों में)	बजट मद
1.	सामान्य	798	1789.80	44343.40	<u>Demand No. 21:</u> 5054- Capital Outlay on Road & Bridges, 04-Dist. & Other Roads, 800- Other Expenditure, (02) Other Road Construction Programme (01) Rural Roads, 74-Consturction of Road & Bridges Expenditure (Plan)
2.	अनुसूचित जाति			13167.00	<u>Demand No. 51</u> 5054- Capital Outlay on Road & Bridges, 04-Dist. & Other Roads, 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संरचना योजना (05)-ग्रामीण सड़कों 74- Consturction of Road & Bridges Expenditure (Plan)
3.	जन जाति			8424.70	<u>Demand No. 30:</u> 5054- Capital Outlay on Road & Bridges, 04-Dist. & Other Roads, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोग (07)-ग्रामीण सड़कों 74-Consturction of Road & Bridges Expenditure (Plan)
कुल योग		798	1789.80	65935.10	

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ जारी की जाती है -

1- जिन कार्यों में भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता हो वह कार्य नहीं किये जायें । ?

2-प्रस्तावित कार्य राजस्थान लोक संपादन में वर्णित अधिनियम 2012/नियम 2013 PWF&AR विभागीय नियमों /प्रक्रियाओं की पालना करते हुए भूतल निर्धारित मापदण्ड को अनुसार कराये जायेंगे
3- विभाग द्वारा बजट प्रस्थान 2016-17 के अंतर्गत अनिश्चित दायित्व उत्पन्न नहीं किया जावेग
अर्थात् उपलब्ध बजट प्रापधान की सीमा तक ही कार्य किया जायगा । ?

File Name: 2016-17 m.doc

अतिरिक्त सहायक
सा.वि.वि.सं. जयपुर
डी.डी.ओ.आर स26124

[illegible]

सिखाई - ज्ञानार्थी
सुखी, निराल - सुखी
सुखी, निराल - सुखी